

सभी ज़िला न्यायालयों को वी.सी. रमोट पॉइंट से जोड़ा गया

चर्चा में क्यों?

10 सितंबर, 2021 को बनीपार्क कोर्ट जयपुर एवं गंगानगर कोर्ट के न्यायाधीशों ने न्यायालय में गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के माध्यम से दर्ज कराने की सुविधा की शुरुआत की।

प्रमुख बंदि

- उच्च न्यायालय में वीसी के जरुरि दयि जाने वाले बयान को लेकर 2 अगस्त, 2021 को रूलस नोटफिई कर दयि गए थे। राज्य सरकार ने इसके लयि सीआरपीसी में संशोधन कयिा है।
- वशिष्ट शासन सचवि, गृह, वी.सरवन कुमार ने बताया क गवाह को कई कलिमीटर की यात्रा के बाद कोर्ट में उपस्थति होकर बयान दर्ज कराने से नज्जित मल्लिगी। गवाह ज़िला न्यायालय के परसिर में वीसी रमोट पॉइंट के स्टूडयिो में जाकर वीसी के माध्यम से अपना बयान दर्ज करा सकेगा।
- उन्होंने बताया क प्रथम फेज के रूप में सभी ज़िला न्यायालयों को वीसी रमोट पॉइंट से जोड़कर स्टूडयिो बनाया गया है तथा कोर्ट के कर्मचारयिों को इन स्टूडयिो पर कोऑर्डिनेटर नयुिक्त कयिा गया है।
- प्रदेश की 1242 कोर्ट में वीसी का हार्डवेयर इन्स्टॉल कयिा गया है। माइक्रोसॉफ्ट टीम का लाइसेंस एवं फाइबर इंटरनेट कनेक्टविटि दी गई है।
- द्वितीय फेज में तालुका कोर्ट में वीसी रमोट पॉइंट बनाया जाएगा। सरकारी ऑफसि एवं अस्पताल को भी इससे जोड़ा जाएगा।
- उन्होंने बताया क उच्च न्यायालय द्वारा वीसी के रूलस नोटफिई करने के बाद समय पर गवाह का बयान हो सकेगा। सरकारी खर्चे एवं समय की बचत होगी तथा ट्रायल भी जल्द ही संभव होगा। पारदर्शति के साथ पूरी प्रक्रयिा संपन्न होने से कोर्ट केस के लंबति मामलों में कमी आएगी।